न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2023
(GCMS 2023/17)(212802725446791)

श्री साहबराम विद्यार्थी पुत्र स्व. सुखपाल निवासी वार्ड नम्बर 19, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 99835—13750)

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री साहबराम विद्यार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री साहबराम विद्यार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2022 को पेश किया था। लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तान्तरित कर दिया था, परन्तु उसे आज दिनांक तक सूचना नहीं मिली है। इसलिए अपीलार्थी ने उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साहबराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2022 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:42 IST
Reason: SelfAttested

> राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने आपको दिनांक 30.08.2022 को और इससे पहले एक ... पत्र लिखा था और आपको दिनांक 12.10.2022 को डी.ओ. लेटर लिखकर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> श्री नरेन्द्र पुरोहित तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गंगानगर के विरूद्ध की गई कार्यवाही व अन्य रिपोर्ट के विषय में बार –बार सचिवालय के संयुक्त शासन ने पत्र लिखे परन्तु आपने डी.ओ. लेटर का ही जवाब नही दिया है या तो आप मुझे शासन सचिव को लिखे पत्रों की सत्यापित प्रमाणित कोपी दे या फिर न जवाब भेजने का जवाब का पत्र की प्रमाणित कोपी दे।

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक एफ 41(5)( )राजस्व/2022/1462 दिनांक 21.03.2023 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्री साहबराम विद्यार्थी पुत्र स्व. सुखपाल वार्ड नं. 19 सादुलशहर मोबाईल नं. 94132–32806 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाहे जाने पर, आवेदक श्री साहबराम विद्यार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 8019 दिनांक 30.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
>
> **संलग्न** : उपरोक्तानुसार।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी
> (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब [illegible] दिया है और प्रार्थी को भी अपने पत्रांक 8019 दिनांक 30.12.2022 [illegible] किया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा [illegible](एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, **किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तामील रिकार्ड दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:42 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर